संख्या-156/2017/2096/26-3-2017-9(82)/2000

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति आयोग,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 अक्टूबर, 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माह (सितम्बर 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिये अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के संचालन हेतु धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-187 सा0 दो-लेखा/75964/बजट/आ0/16 दिनांक-04.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-01-800-07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माह (सितम्बर 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिये खर्चो को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-462.12 लाख (रूपये चार करोड़ बासठ लाख बारह हजार मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के रूप में जारी धनराशि को घटाते हुये अवशेष धनराशि रूपया-277.50 लाख (रूपया दो करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान संख्या-80 (धनराशि लाख रूपयों में)

योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2017-18	लेखानुदान के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि (प्रथम 05 माह हेतु)	अवशेष 07 माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-07-अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग- 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)- 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)- 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	 98.50 344.61 19.01	 41.04 143.58 00	 57.46 201.03 19.01
	462.12	184.62	277.50

(रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन के जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तुविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पी0एल0ए0 में नही रखा जायेगा।

(2) आयोग द्वारा मितव्ययिता संबंधी मदो में व्यय हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन मदों में बचत तथा अनुदान के उपयोग की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत अनुदान पर अनुदान नियमावली में उल्लिखित नियम लागू होगें। अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(3) यदि मानक मद 20-सहायता-सामान्य (गैर वेतन) और 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्गत की जाय।

(4) उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 में निहित निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन), 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) एवं 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017- 231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

पृ0संख्या-156/2017/2096(1)/26-3-2017तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- कोषाधिकार, , जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक समाज कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।
8- अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in